बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

रबी विपणन मौसम 2025–26 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक सूचना

- गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य :– **2425/– रुपये प्रति क्विंटल।**
- गेहूँ अधिप्राप्ति की अवधि :– **1 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025।**
- किसानों को न्यूतनम समर्थन मूल्य का भुगतान उनके नामित खाते में PFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से किया जायेगा।
- रैयत एवं गैर–रैयत किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
- गेहूँ की अधिप्राप्ति कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधित किसानों के माध्यम से किया जायेगा।
- गत् वर्ष निबंधित/आवेदित किसानों को इस वर्ष गेहूँ बिक्री हेतु मान्य किया गया है।
- गेहूँ की अधिप्राप्ति विभागीय पोर्टल www. esahkari.bihar.gov.in के माध्यम से किया जायेगा।

गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का शुभारम्भ माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के कर कमलों से गया जिला के नगर प्रखंड के चुरी पैक्स मे किया जायेगा!

PR No. 023099 (Co-operative)D.2024-25

किसान भाईयों एवं बहनों से अपील है कि अपने निकटवर्ती पैक्स/व्यापार मंडल में गेहूँ की बिक्री कर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठावे।

गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर प्रखंड में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ कार्यालय से सम्पर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

किसान समस्या/शिकायत के निवारण हेतु विभागीय टोल फ्री नं – 1800–1800–110 (सुगम) पर सम्पर्क कर सकते है।